

के खर्च का बढ़ जाना है, खासकर दूसरी आयोजना के शुरू होने के बाद। आयोजनाओं में शामिल किये गये विकास कार्यक्रमों को धमल में लाने से देश की आयात (इम्पोर्ट) सम्बन्धी आवश्यकताएं काफी बढ़ गयी हैं। इस्पात कारखानों में माल डिब्बों का रोकना जाना

३७४. { श्री स० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि इस्पात कारखानों में मालगाड़ी के डिब्बे समय से अधिक रोक कर रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भविष्य में मालगाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता से अधिक न रोका जाये इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने जा रही है ; और

(घ) स्थिति में कब तक मुधार की संभावना है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) (क) से (घ). कई श्रवसरो पर रेलवे द्वारा निर्धारित निःशुल्क श्रवधि से अधिक समय तक मालगाड़ी के डिब्बे इस्पात कारखानों में रोक लिये गये हैं। इस के मुख्य कारण ये रहे हैं—कुछ खास किस्म के डिब्बों में माल लादने और उतारने की उचित मशीनी-व्यवस्था का अभाव, डिब्बों की आमद में उतार-चढ़ाव जो कभी कभी इस्पात संयंत्रों को क्षमता से अधिक हो जाता था तथा रेलवे और इस्पात कारखानों की परिचालन सम्बन्धी आकस्मिक कठिनाइयां। डिब्बों की रोक को यथासम्भव दूर करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। सभी इस्पात संयंत्रों की रेलवे के विभिन्न श्रेणी के अधि-कारियों से सम्पर्क-व्यवस्था है और हर सम्भव

उपाय किया जा रहा है जिस से डिब्बों को उपलब्धि अधिक से अधिक आसानी से हो सके।

Sindri Fertilizers and Chemicals Ltd.

375. { **Shri S. C. Samanta:**
Shri Subodh Hansda:
Shri M. L. Dwivedi:

Will the Minister of Steel and Heavy Industries be pleased to state:

(a) whether proper cost accounting system has been introduced in the Sindri Fertilisers and Chemicals Limited;

(b) if so, when; and

(c) if not, the steps taken in the matter?

The Minister of Steel and Heavy Industries (Shri C. Subramaniam):

(a) Yes, Sir.

(b) Since 1952, when the Company started functioning.

(c) Does not arise.

Marine Insurance Law

376. { **Shri Raghunath Singh:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri M. L. Dwivedi:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government of India are contemplating to enact a Statute for Marine Insurance Law as recommended by the Law Commission on the general lines of English Marine Insurance Act of 1906; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The Law Commission's recommendations are being examined and no decision has yet been taken.

(b) Does not arise.